सं. 402/92/2008-एमसी (2008 का 20)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
{केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड}
****

नई दिल्ली, 23 मई 2008

प्रेस विज्ञप्ति

मीडिया के कुछ वर्गों में यह रिपोर्ट की है कि पिछले कुछ महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश में गिरावट आई है और एफआईआई निवेश में गिरावट का एक कारण आयकर विभाग द्वारा एफआईआई को स्थायी खाता संख्या (पैन) या पैन कार्ड जारी करने में कथित विलम्ब है।

इस तरह की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और आयकर विभाग इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करता है।

पैन कार्ड का आवंटन और जारी करना आयकर विभाग द्वारा यूटीआईटीएसएल और एनएसडीएल के साथ साझेदारी में किया जाता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान यूटीआईटीएसएल को नये पैन कार्ड के लिए 100 आवेदन प्राप्त हुए और ये सभी 15 दिनों के भीतर जारी कर दिये गये। इसमें औसतन 15 दिन का समय लगा। 31.3.2008 तक नये पैन कार्ड के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं थे।

इसी अवधि के दौरान, एनएसडीएल को नए पैन कार्ड के लिए 558 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 81 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर जारी किए गए और 13 प्रतिशत 16 से 30 दिनों के बीच जारी किए गए। इसमें औसतन 13 दिन का समय लगा। 31.3.2008 तक, नए पैन कार्ड के लिए केवल 2 आवेदन लंबित थे।

पैन कार्ड जारी करने में देरी, यदि कोई हो, आमतौर पर आवेदकों द्वारा अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण होती है। इसलिए आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैन के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण हों।

XXX